HINDUSTAN, Delhi, 1.6.2018
Page No. 19, Size:(8.32)cms X (10.82)cms.

आभासी आईडी प्रणाली के लिए समयसीमा बढ़ी

नई दिल्ली | एजेंसियां

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बैंक व दूरसंचार कंपनियों जैसे सेवा प्रदाताओं व एजेंसियों के लिए आभासी पहचान प्रणाली लागू करने की समय सीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी। अब यह सेवा 1 जुलाई तक लागू होगी।

आभासी आईडी (वीआईडी) का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को यह विकल्प उपलब्ध करवाना है कि उन्हें प्रमाणन के समय आधार नंबर नहीं बताना पड़े। आधार जारी करने वाली यूआईडीएआई ने इससे पहले कहा था कि सभी एजेंसियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे 1 जून 2018 से वीआईडी स्वीकार करें।

यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने बताया, हम तो तैयार हैं।

देरी

- सेवा प्रदाताओं की मांग पर यूआईडीएआई ने बढ़ाई मियाद
- आभासी आईडी आने से नहीं देनी होगी आधार संख्या

लेकिन एजेंसियों को वीआईडी प्रणाली अपनाने के लिए कुछ और समय चाहिए। इसलिए हमने एक महीने और, 1 जुलाई तक का समय दिया है।

पांडे ने कहा, आंतरिक काम व दिक्कतों को देखते हुए यह समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस साल जनवरी में आधार के मामले में निजता से जुड़ी चिंताओं को दूर करते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आभासी पहचान प्रणाली शुरू करने की घोषणा की थी।